



नागरिक चार्टर / ग्राहक चार्टर

भारी उद्योग विभाग

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

<http://www.dhi.nic.in>

दृष्टिकोण - विभाग के अंतर्गत आधुनिक, स्वस्थ और सुदृढ़ ऑटो, हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल और कैपिटल गुड्स सेक्टर तथा स्वनिर्भर और विकासोन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम रखना।

ध्येय- भारी उद्योग विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रूग्ण और हानि उठा रहे उद्यमों के पुनर्गठन और पुनरुद्धार का प्रयास करता है। भारी उद्योग विभाग राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास अवसरचना परियोजना (नैट्रिप) के जरिए अत्याधुनिक अनुसंधान तथा परीक्षण अवसरचना का निर्माण कर वैश्विक ऑटोमोटिव उद्यमों के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। भारी उद्योग विभाग ऑटो हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल्स तथा कैपिटल गुड्स सेक्टरों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है।

सेवाएं- यह विभाग नागरिकों, भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, एसोसिएशनों, सांविधिक निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सेवाएं देता है जैसाकि नीचे मानदंडों के साथ "मुख्य सेवाएं" के अंतर्गत दर्शाया गया है:

मुख्य सेवाएं/ व्यवहार

क्र.सं.	सेवाएं/ व्यवहार	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (दूरभाष) नंबर	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि (रुपए)
नागरिकों को सेवाएं										
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट पाने के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करना।	10.0	श्री डी.के. चौधरी, अवर सचिव	dk.chau dhary/70 @nic.in	011-23061045	आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्राप्ति	1. चिकित्सा प्रमाणपत्र का 2. विनिर्माता का प्रमाणपत्र 3. व्यक्ति से शपथपत्र अपेक्षित दस्तावेजों का ब्यौरा/प्रपत्र के लिए कृपया www.dhi.nic.in पर क्लिक करें)	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
2.	शिकायतों को दूर करना	10.0	श्री राजेश कुमार	singh.rk1 @967	011-23063740	शिकायत की प्राप्ति और	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

